

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 02, सोमवार, शाके 1948- अगस्त 24, 2026 Bhadra 02, Monday, Saka 1948- August 24, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिस्चना

जयपुर, जनवरी 31, 2025

संख्या प.9(1)राज-1/2025-23662:-राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्व मण्डल अजमेर एवं जिला कलक्टर, बालोतरा से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **जिला बालोतरा की तहसील सिणधरी एवं पाटोदी** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार होगा :-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी K M	मूलग्राम का शेष क्षेत्रफल (में.है)
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (में)	जन संख्या 2011 अनुसार	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (में)	जन संख्या 2011 अनुसार		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बालोतरा / सिणधरी	सड़ा / पायलां कलां	सड़ा LG Code 88100	863. 0667	2030	बाणमाता मन्दिर Banma ta Mandir	298. 0360	551	4	690.8 468
			जोधेश्वर नगर LG Code 88099	387. 9083	330				2	262.0 922

2		एड सिणधरी / पायलां कलां	विष्णुम न्दिर का वास LG Code 87928	684. 5620	591	गंगासरा Ganga sara	324. 3616	262	2	360.2 004
3	बालोत रा/ पाटोदी	भगवान पुरा/ पाटोदी	प्रतापन गर LG Code 87378	804. 5700	1127	हिम्मत नगर Himma t Nagar	187. 9500	366	1. 5	616.6 200

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रावधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, बालोतरा** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगे।

आज्ञा से,

नरेन्द्र गुप्ता

विशिष्ट शासन सचिव ।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।